कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री उत्तर प्रदेश कपड़ा व्यापार संगठन ,द्वितीय तल मुखर्जी मार्केट, सुभाषमार्ग,आगरा।**

प्रा0प0सं0- **315/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री सतीश चन्द बंसल ,अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 27-6-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें **लोई,शाल व कम्बल** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- एडिशनल कमिश्नर ,ग्रेड-।,वाणिज्य कर, आगरा से प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि सर्वश्री रेमण्ड लि0(सेल डिपाट)311,सिटी सेन्टर ,दि माल कानपुर (प्रार्थना पत्र संख्या-59/08)धारा-59 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 4-3-08 में कम्बल,शाल,लोई पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता का निर्णय दिया जा चुका है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री सतीश चन्द बंसल,अधिवक्ता उपस्थित हुयें व धारा-59 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया ।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों,प्राप्त विभागीय आख्या, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया। सर्वश्री रेमण्ड लि0,कानपुर के वाद में (प्रार्थना पत्र संख्या-59/08)धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक 4-3-08 में रुग्स,शाल ,लोई को वैट अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-क के क्रमांक16 पर अंकित प्रविष्टि **" Bed sheet, pillow cover & other textile made ups excluding those made on handloom."**के अन्तर्गत 4प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित की गयी है। मिल मेड कम्बल टैक्सटाइल मेडप की श्रेणी में आते है। अतः लोई,शाल व मिल मेड कम्बल पर 4प्रतिशत की दर से कर देयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 8,अगस्त ,2008

ह0 8.8.08

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।